न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 147 / 2024

प्रार्थीगण	**बनाम**	विप्रार्थीगण
1. सताराम पुत्र रुपाराम वयस्क 2. खेराजराम पुत्र रुपाराम वयस्क 3. हरुराम पुत्र रुपाराम वयस्क जातियान जाट निवासीयान एड अमरसिंह तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर हाल बालोतरा।		1. केहराराम पुत्र देदाराम वयस्क 2. दमाराम पुत्र देदाराम वयस्क 3. हीराराम पुत्र देदाराम वयस्क 4. भैराराम पुत्र पदमाराम वयस्क 5. मालाराम पुत्र मेहराजराम वयस्क 6. मगाराम पुत्र डुंगराराम वयस्क 7. अचलाराम पुत्र डुंगराराम वयस्क जातियान जाट निवासीयान एड अमरसिंह तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर हाल बालोतरा 8. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री पाबूराम बेनीवाल, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:06:31 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

दिनांक 12.12.2024

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खाते[illegible] का खेत मौजा एड अमरसिंह पटवार मण्डल एड सिणधरी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 185, 186 रकबा क्रमशः 0.0243,11.1723 हैक्टेयर अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा मौजा एड अमरसिंह पटवार मण्डल एड सिणधरी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 185, 186 रकबा क्रमशः 0.0243,11.1723 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत मौजा एड अमरसिंह पटवार मण्डल एड सिणधरी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 185, 186 रकबा क्रमशः 0.0243,11.1723 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है एवं सेढ़ो की माठों को खुर्द बुर्द किया जाता रहा है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा मौजा एड अमरसिंह पटवार मण्डल एड सिणधरी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 185, 186 रकबा क्रमशः 0.0243,11.1723 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया गया कि मौजा एड अमरसिंह पटवार मण्डल एड सिणधरी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 185, 186 रकबा क्रमशः 0.0243,11.1723 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार है,और रिकार्डेड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्[illegible] तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन [illegible] उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती तो न्यायालय में उप[illegible] होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया [illegible] ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:06:31 IST
Reason: SelfAttested

5. लिहाजा, प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा एड अमरसिंह पटवार मण्डल एड सिणधरी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 185, 186 रकबा क्रमशः 0.

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

J243,11.1723 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1000/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 12.12.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:06:31 IST
Reason: SelfAttested